

## ‘सार्वभौमिक सुगम्यता’ संबंधी दशानरिदेश

### प्रलिस के लयि:

भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दशानरिदेश और मानक 2021, केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD), अनुच्छेद 14, वकिलांग वयक्तयिों के अधकिार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ‘सुलभ भारत अभयान’, वकिलांगता और इसके प्रकार ।

### मेन्स के लयि:

वकिलांग लोगों से संबधति मुददे और इससे जुड़ी पहलें ।

### चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD) ने ‘भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दशानरिदेश और मानक’ (2021) जारी कयि हैं ।

- नए नयिमें के तहत योजना के डिजाइन से अधकि कार्यान्वयन पर धयान देने की परकिलपना की गई है ।
- इसके अलावा ‘सार्वभौमिक सुगम्यता’ संबंधी नए दशा-नरिदेशों के तहत मौजूदा पारतिंर के वभिनिन पहलुओं को शामिल कयि गया है ।
- इससे पहले वर्ष 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए ‘सुगम्यता’ मानकों हेतु मसौदा दशानरिदेश जारी कयि थे ।

### केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग

- भारत का केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD), सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों हेतु उत्तरदायी केंद्र सरकार का एक प्रमुख प्राधकिरण है ।
- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अंतरगत आता है ।
- यह इमारतों, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर, स्टैडियम, सभागारों, प्रयोगशालाओं, बंकरों, सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा सड़कों (पहाड़ी सड़कों) आदि जैसी जटलि संरचनाओं के नरिमाण से संबधति है ।
- इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1854 में की थी ।

### प्रमुख बदि

- नए दशा-नरिदेशों के बारे में:
  - ये दशा-नरिदेश वर्ष 2016 में जारी दवियांग वयक्तयिों और बुजुर्ग वयक्तयिों के लयि बाधा मुक्त वातावरण के नरिमाण हेतु सामंजस्यपूर्ण दशा-नरिदेशों और अंतरकिष मानकों का संशोधन है ।
  - पूर्ववर्ती दशा-नरिदेश एक बाधा मुक्त वातावरण नरिमति करने से संबधति थे लेकिन नए दशा-नरिदेश सार्वभौमिक पहुँच पर केंद्रति हैं ।
    - सार्वभौमिक पहुँच की स्थति उस स्थति/डिग्री को संद्रभति करती है जसि तक पर्यावरण, उत्पाद और सेवाएँ वकिलांग लोगों के लयि सुलभता के साथ उपलब्ध हो सकें ।
    - दवियांग लोगों के लयि "नरिमति वातावरण" से भौतिक बाधाओं को दूर करने के प्रयास का वर्णन करने हेतु बाधा मुक्त वातावरण शब्द का उपयोग कयि जाता है ।
  - ये दशा-नरिदेश केवल दवियांग वयक्तयिों (Persons with Disabilities- PwD) के लयि ही नहीं हैं, बल्कि सरकारी भवनों के नरिमाण से लेकर मास्टर-प्लानगि के तहत शहरों तक, योजना परयोजनाओं में शामिल लोगों के लयि भी हैं ।
  - **नोडल मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) ।
- दवियांग लोगों के लयि संवैधानिक और कानूनी ढाँचा:
  - **अनुच्छेद 14:** राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कसिी वयक्तिको कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचति नहीं करेगा ।
    - इस संद्रभ में दवियांग वयक्तयिों को संवैधानिक के समक्ष समान अधकिार प्राप्त होने चाहयि ।

- **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दवियांग वयक्तियों का अधिकार:** भारत [संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, दवियांग वयक्तियों के अधिकार का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वर्ष 2007 में लागू हुआ था।](#)
    - कन्वेंशन एक मानव अधिकार के रूप में पहुँच को मान्यता देता है तथा वकिलांग वयक्तियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु हस्ताक्षर करता है।
  - **सुगम्य भारत अभियान:** यह [सुगम्य भारत अभियान](#) के रूप में भी जाना जाता है और वकिलांग वयक्तियों को विकास के लिये समान अवसर प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
    - अभियान बुनियादी ढाँचे, सूचना और संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव करके पहुँच को बढ़ाने का प्रयास करता है।
  - **वकिलांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016:** भारत सरकार ने वकिलांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो वकिलांग वयक्तियों से संबंधित प्रमुख और व्यापक कानून है।
    - अधिनियम वकिलांग वयक्तियों के लिये सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
    - यह अधिनियम वकिलांग वयक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की भी सफ़ाई करता है जहाँ वे एक सामान्य व्यक्ति को मलिन करने वाले विकास लाभों को साझा कर सकें।
- **अन्य संबंधित पहलें:**
- [दीनदयाल वकिलांग पुनर्वास योजना](#)
  - [वकिलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप।](#)
  - [वशिष्ट वकिलांगता पहचान परियोजना](#)
  - [अंतरराष्ट्रीय दवियांगता दविस](#)

## दवियांगता (Disability)

- **परिचय:**
  - दवियांगता कुछ विशेष रूप से वकिलांग लोगों से जुड़ा एक शब्द है यह एक ऐसी स्थिति को जो उसे अपने आस-पास के अन्य लोगों की तरह ही काम करने से रोकती है।
- **दवियांगता के प्रकार:**
  - **बौद्धिक अक्षमता:** एक बौद्धिक अक्षमता (आईडी) वाले व्यक्ति में कम बुद्धि या तर्कसंगत क्षमता की कमी देखी जाती है जो कि बुनियादी दैनिक-प्रतदिन की गतिविधियों के लिये उनके कौशल में कमी के रूप में प्रदर्शित होती है।
  - **स्नायविक और संज्ञानात्मक विकार:** लोगों के जीवनकाल में इस प्रकार की वकिलांगता मस्तिष्क की खराब चोट या मल्टीपल स्केलेरोसिस से होती है।
    - मल्टीपल स्केलेरोसिस में शरीर की कोशिकाओं पर उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला किया जाता है, जिससे शरीर और उसके मस्तिष्क के बीच संचार में समस्या पैदा हो जाती है।
  - **शारीरिक अक्षमता:** यह दवियांगता लोगों में पाई जाने वाली सबसे आम प्रकार की अक्षमता है।
    - ये मुद्दे संचार प्रणाली से लेकर तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र संबंधी हो सकते हैं।
    - सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी वकिलांगता है जो मस्तिष्क क्षतिके कारण होती है और इसके परिणामस्वरूप चलने में समस्या होती है। ऐसी दवियांगता के लक्षण जन्म से ही देखे जा सकते हैं।
  - **मानसिक वकिलांगता:** किसी व्यक्ति में इस तरह के विकार व्यक्ति में चिंता विकार, अवसाद या वभिन्न प्रकार के फोबिया को जन्म देते हैं।

स्रोत: द हट्टू